प्रारूप क्रमांक-बीस

ई-टेण्डरदाता के लिए शपथ पत्र

मैं स्वयं (नाम) .... आयु .... (पिता/पति का नाम) .... निवासी (पता) ....
शपथ पूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि:-

1. मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी/कन्सॉर्टियम की स्थिति में (फर्म/कम्पनी/कन्सॉर्टियम का नाम) .... की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।
2. मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी/कन्सॉर्टियम की दशा में सभी भागीदार/संचालक मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2024-25 के लिये ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।
3. मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।
4. मेरे द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए देय सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि साईबर ट्रेजरी में ऑन लाइन जमा की रसीद/बैंक की सावधि जमा रसीद/बैंक गारन्टी के रूप में (शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार),विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
5. मैंने ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला .... की मदिरा की दुकानों/एकल समूहों की निर्धारित अर्नेष्टमनी की राशि कुल रूपये .... www.mptenders.gov.in पोर्टल पर ऑन लाईन जमा करा दी है।
6. मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2024-25 की देय वार्षिक मूल्य की राशि (वार्षिक लायसेंस फीस + निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि) यथा समय जमा करूंगा/करूंगी।
7. यदि मेरे द्वारा देय वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि एवं सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं की जाती है,तो मेरे द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जमा धरोहर राशि (EMD) एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा मुझे आवंटित मदिरा दुकान के एकल समूह का वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है,तो अन्तर की खिसारा राशि मेरे

द्वारा देय होगी तथा यह राशि मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. मैं ई-टेण्डर के माध्यम से निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय सीमा में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा तथा बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करूंगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये। पोस्ट डेटेड चैक्स बाऊंस होने पर निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य होंगे।

9. मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

10. मेरा मोबाइल नम्बर .... है,जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई-मेल एड्रेस .... है,जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई-मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल एड्रेस यही रहेगा एवं इन पर भेजी गई सूचनाएं मुझ पर तामील मानी जाएंगीं। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है,तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

11. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, बैंक गारन्टी/सावधि जमा/साईबर ट्रेजरी में जमा वर्ष 2024-25 के दौरान इस मदिरा दुकान के एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा की दुकानों/एकल समूहों द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. मदिरा की दुकानों/एकल समूहों के ई-टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण,सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

13. वर्ष 2024-25 के लिये स्वीकृत आबकारी व्यवस्था में लायसेंस अवधि के दौरान राज्य शासन यथा आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा तथा वह मुझे मान्य होगा।

स्थान.............................. हस्ताक्षर...................

दिनांक / /2024

सत्यापन लेख

मै,(नाम) ....

(पिता/पति का नाम) श्री ....

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (13) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान.............................. **हस्ताक्षर........**

दिनांक / /2024